विवरणिका

PROSPECTUS

2022-23

ESTD. 1973

स्व0 श्री जय दत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा

सम्बद्ध - सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

स्थापना–वर्षः 1973

Webiste: http://gpgcrkt.in/
E-mail : gpgcranikhet1973@gmail.com

महाविद्यालय गीत

ये महाविद्यालय मेरा यह ज्ञान की पहचान है,
इसके अतीत में छिपा गौरवमयी सम्मान है।
रानीखेत महाविद्यालय, रानीखेत महाविद्यालय।।
ये महाविद्यालय.....

ये सिखाता है हमें सबका करें सम्मान हम
ये पढ़ाता है हमें सत्यम् शिवम् और सुन्दरम्
ये दिखाता है हमें जीवन के नित नव रास्ते
ये कराता है हमें संस्कारों की पहचान
रानीखेत महाविद्यालय, रानीखेत महाविद्यालय।।
ये महाविद्यालय.....

लहराती हरियाली है, गिरिराज हिमालय शान है,
बुरांश पुष्पों पर यहां, भँवरों का गुन्जित गान है,
युवा शक्ति के लिए नित ज्ञान का आह्वान है,
जीवन के नैतिक मूल्यों का होता यहां निर्माण है,
रानीखेत महाविद्यालय, रानीखेत महाविद्यालय।।
ये महाविद्यालय.....

आइये शिक्षार्थ सब जन, जाइये सेवार्थ सब
ज्ञान सीखे, ज्ञान बांटे, ज्ञान से सब कुछ सुलभ
देश उन्नत होगा तब, जब होंगे शिक्षित हम सभी
शिक्षा का धन जिसको हासिल, बस वही धनवान है।
रानीखेत महाविद्यालय, रानीखेत महाविद्यालय।।
ये महाविद्यालय.....

Vision

Creating and nurturing a learning community where excellence and capacity building is expected of every student.

Mission

The college provides an environment conducive to intellectual curiosity and innovation through igniting the spark so as to Shine and Lead. We guide and motivate Human Resources towards perfection and serve as an educational leader; contributing its resources to the intellectual, cultural, physical and economic vitality of the region in order to ensure inclusive growth of all the stakeholders.

स्व0 श्री जय दत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत : एक परिचय

उत्तराखण्ड की अति सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसी हुई रानीखेत नगरी के पश्चिम छोर चिलियानौला की पावन भूमि पर अवस्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत की स्थापना वर्ष 1973 में हुई। रानीखेत वर्तमान में कुमाऊँ रेजिमेंट (के0 आर0 सी0) और नागा रेजिमेंट का छावनी परिषद केंद्र है। स्थापना वर्ष से निरन्तर विकास के पथ पर अग्रसर होकर तथा अथक प्रयासों से यह महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग दर्शक तथा पथ प्रदर्शक बना हुआ है।

वर्तमान में यहाँ लगभग 2500 संस्थागत छात्र/छात्राएं अध्यनरत हैं। वर्तमान में इस महाविद्यालय में कला, वाणिज्य विज्ञान व बी0 एड0 (स्ववित्तपोषित) चार संकाय हैं। कला संकाय में स्नातक स्तर पर राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, हिन्दी, समाजशास्त्र, संगीत तथा गृह विज्ञान विषय संचालित है। संस्कृत तथा गृह विज्ञान के अतिरिक्त सभी विषयों में स्नात्तकोत्तर कक्षायें संचालित हैं। विज्ञान–संकाय में रसायन, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी व गणित हैं तथा सभी विषयों में स्नातक के साथ स्नातकोत्तर भी हैं। सभी संकायों में सेमेस्टर पद्वति लागू की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे योगा आदि भी संचालित किये जा रहे हैं। महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में शोधार्थियों द्वारा शोध कार्य किये जा रहे है। वर्तमान में तीनों संकाय (कला, विज्ञान तथा वाणिज्य) में शोधार्थी पी0 एच0 डी0 हेतु पंजीकृत है। महाविद्यालय में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय और शैक्षिक अध्ययन केंद्र भी है। वर्ष 2022 से महाविद्यालय को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा का परीक्षा मूल्यांकन केंद्र भी बनाया गया है।

महाविद्यालय का शुभारम्भ 1973 में स्नातक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं संगीत विषयों के साथ हुआ। वर्ष 1977 में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी, अर्थशास्त्र एवं इतिहास की कक्षाएं आरम्भ की गई। तत्पश्चात 1979 में स्नातक स्तर पर भूगोल एवं स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति शास्त्र एवं इतिहास की कक्षाएं आरम्भ की गई। विज्ञान संकाय का शुभारम्भ 1982–83 में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान विषयों के साथ किया गया। सत्र 2001–2002 से बी0 कॉम0 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विषय की कक्षायें प्रारम्भ की गई। रसायन शास्त्र में एम0 एस0 सी0 2002–2003 से प्रारम्भ

की गई। सत्र 2006–07 में गणित एवं भौतिकी में एम0 एस0 सी0 की कक्षायें प्रारम्भ हुई। शिक्षा विषय को व्यवसायपरक बनाने के उद्देश्य से सत्र 2008–09 में स्ववित्त पोषित बी0 एड0 पाठ्यक्रम का प्रारम्भ किया गया। सत्र 2011–12 से स्नातकोत्तर स्तर पर तथा 2016–17 से स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली शुरू की गई। वर्तमान सत्र से छात्रों के सर्वांगीण विकास तथा गुणवत्तापूर्ण षिक्षा प्रदान करने हेतु नीति निर्माताओं के उद्देश्य के अनुरूप नई शिक्षा नीति 2020 को महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर अपनाया गया है।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस महाविद्यालय को अल्मोड़ा जिले के एक विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। विशिष्ट महाविद्यालय योजनान्तर्गत यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा का एक आदर्श केन्द्र बनने की ओर अग्रसर है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा के साथ–साथ वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप महाविद्यालय में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वि0वि0 अनुदान आयोग की मूल्यांकन संस्था NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) के द्वारा इस महाविद्यालय को 'B' श्रेणी प्रदान की गई है।

महाविद्यालय का अपना स्थाई भवन है। जिसमें प्रशासनिक भवन, कला संकाय भवन, विज्ञान संकाय भवन, पुस्तकालय भवन तथा सभागार सम्मिलित है। महाविद्यालय परिसर में एक छात्रावास भवन है जिसमें साठ छात्रों के रहने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आर्थिक सहायता से 65 छात्राओं हेतु महिला छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

महाविद्यालय परिसर में अनेक अकादमिक क्रिया–कलाप तथा स्वस्थ चलनों के माध्यम से छात्र विकास तथा सहायता सुनिश्चित की जाती है जो निम्नवत है–

1. **अध्यापन एवं शोध–** यह महाविद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपक्रम है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की अत्याधुनिक तकनीकों तथा नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं पर बल दिया गया है। महाविद्यालय में अनेक शोधार्थी विभिन्न प्राध्यापकों के निर्देशन में शोधरत है। अनेक प्राध्यापकों के विषयगत शोध पत्र विभिन्न विषयों में ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हुये हैं। इसके अतिरिक्त, फैकल्टी सदस्यों द्वारा सेमिनार, सिम्पोजियम तथा कार्यशाला के साथ–साथ अभिविन्यास और पुनश्चर्या कार्यक्रमों में प्रतिभाग, अध्यापन एवं शोध के बुनियादी आधार को सुदृढ़ करता है। साथ ही समय–समय पर सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा आमन्त्रित विषय–विशेषज्ञों के व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है।
2. **कैरियर काउन्सलिंग एण्ड प्लेसमेण्ट सेल–** इसमें छात्रों के कैरियर के विषय में चयन, तैयारी और नियोजन सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है जिसका उद्देश्य अनिश्चितता तथा भावनात्मक तनावों का निवारण करना है, ताकि वे सुदृढ़ तथा सशक्त होकर सही निर्णय

ले सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों एवं व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में यहां व्याख्यानों, कार्यषालाओं और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

3. **अनुसूचित जाति उपयोजना–** अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं का संचालन किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, सेट, तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करायी जाती है।
4. **पुस्तकालय–** महाविद्यालय के पुस्तकालय से स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को 04 पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के सेमेस्टर के विद्यार्थियों को विभागीय स्तर पर पुस्तक की उपलब्धता के आधार पर पुस्तकें निर्गत की जाती है।

   अ. पुस्तकें सामान्यतः दो माह के लिये निर्गत की जाती हैं। विद्यार्थी एक माह पश्चात पुस्तकें बदल सकते हैं।

   ब. विद्यार्थियों को महाविद्यालय पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अदेय प्रमाण पत्र (नो ड्यूज) के साथ जमा करनी आवश्यक है बिना पुस्तकें जमा किये अदेय प्रमाण पत्र (नो ड्यूज) निर्गत नहीं किया जाता है।

   स. पुस्तकालय से पुस्तकें लेने के लिये विद्यार्थियों को स्वयं उपस्थित होना है, बिना परिचय पत्र के पुस्तके निर्गत नहीं की जायेंगी। प्रत्येक कक्षा की पुस्तकें निर्गत करने हेतु समय सारणी निर्धारित की जायेगी। विद्यार्थी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर ही पुस्तक ले सकेगा। समय सारिणी समय–समय पर सूचना पट पर चस्पा कर दी जायेगी।

   द. शोधार्थी शोध निर्देशक की संस्तुति पर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।
5. **वाचनालय–** महाविद्यालय में छात्रों एवं छात्राओं के लिये वाचनालय की व्यवस्था है, जिसमें हिन्दी व अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकायें मंगाई जाती हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने खाली वादनों में वाचनालय में बैठकर इन पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर समय का सदुपयोग करें।
6. **प्रसार व्याख्यान–** इन व्याख्यानों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि करना एवं ज्ञान के प्रति अभिरुचि एवं उत्सुकता जागृत करना है। विभिन्न सामाजिक एवं लोकप्रिय विषयों में विद्वान एवं उत्सुक वक्ता प्रसार व्याख्यानों में सारगर्भित भाषणों का ज्ञान वर्धन करते हैं।

7. **एन0सी0सी0 (राष्ट्रीय कैडेट कोर)–** छात्र/छात्राऐं स्नातक स्तर पर एन0सी0सी0 में प्रवेश ले सकते हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में एन0 सी0 सी0 की दो इकाईयाँ– 24 यू0 के0 गर्ल्स बटालियन, अल्मोड़ा तथा 79 यू0 के0 बटालियन, नैनीताल कार्यरत है जिनके संयोजक क्रमशः ले0 डॉ0 रूपा आर्या तथा ले0 डॉ0 शंकर कुमार एन.सी.सी. अधिकारी के रुप में कार्यरत हैं।
8. **राष्ट्रीय सेवा योजना–** स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षणेत्तर कार्यकलापों द्वारा समाज की सेवा करना है। वर्तमान में इसकी 03 इकाईयां कार्यरत है। प्रत्येक इकाई हेतु निर्धारित 100 छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर कुल 300 छात्र/छात्राओं का एन0एस0एस0 में पंजीकरण किया जाता है। स्नातक स्तर पर प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राएं ही इसमें प्रवेश ले सकते हैं। एन0एस0एस0 के बी0 व सी0 प्रमाण पत्रों के आधार पर बी0एड0 आदि विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यथियों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाता है। एन0एस0एस के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्रायें ही बी0 प्रमाण–पत्र परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह होते हैं।

   नोट–उक्त दो योजनाओं में से छात्र/छात्रा केवल एक योजना में भाग ले सकता/सकती है।
9. **क्रीड़ा एवं खेलकूद–** महाविद्यालय का निजी क्रीडा स्थल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इत्यादि खेलों के लिये उपलब्ध है। इन्डोर गेम्स के अन्तर्गत बैडमिन्टन, सेपकटाकरा आदि की व्यवस्था है। अध्यक्ष क्रीड़ा परिषद द्वारा खेलों के सुचारु रुप से होते रहने के लिए समय–समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा वर्ष में एक बार क्रीड़ा समारोह सम्पन्न किया जाता है।
10. **छात्रवृत्तियां तथा आर्थिक अनुदान– महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 06 प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है–**
    1. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति–** यह छात्रवृत्ति इण्टरमीडिएट स्नातक स्तर पर श्रेष्ठता के आधार पर नवीनतम रूप में दी जाती है एवं नवीनीकरण भी किया जाता है। यह छात्रवृत्ति स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओ में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की श्रेष्ठता एवं इण्टरमीडिएट की मैरिट के आधार पर बी0ए0/बी0एस0सी0/इंजी/ मैडिकल कक्षाओं हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ष में रू0 60, 90 120, 120, प्रतिमाह दिवा छात्रों को तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को रू0 100,140,170,170 प्रतिमाह की दर से स्वीकृत/नवीनीकरण किया जाता है।
    2. **असेवित छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा–** छात्रवृत्ति की संख्या निश्चित नहीं है। यह छात्रवृत्ति स्नातक कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रावासी छात्र/छात्राओं को रू0

100/– प्रतिमाह तथा जहां छात्रावास की सुविधा नहीं है, उन छात्रों को रू0 125/– प्रतिमाह की दर से प्रदान की जाती है।

3. **पर्वतीय क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सामान्य/प्रविधिक शिक्षा में उच्चतर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति–** छात्रवृत्ति की संख्या निश्चित नहीं है। यह छात्रवृत्ति तकनीकी व्यावसायिक प्रोफेशनल कोर्स में अध्ययन करने वाले छात्रों को जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा स्वीकृत की जाती है।
4. **शोध छात्रवृत्ति–** यह छात्रवृत्ति शोध छात्रों को अनुसंधान एवं शोध की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधारभूत आवश्यकताओं, प्रयोगशाला उपकरण एवं शोध जर्नल्स/सन्दर्भ ग्रन्थ हेतु स्वीकृत की जाती है।
5. **विकलांग छात्रवृत्ति–** यह छात्रवृति महाविद्यालय के विकलांग छात्र–छात्राओं को दी जाती है यह छात्रवृति की धनराशि जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा भेजी जाती है।
6. **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति–** यह छात्रवृत्ति महाविद्यालय के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछडा वर्ग के छात्र–छात्राओं को जो शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत आते हैं उनको दी जाती है इसकी धनराशि जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा भेजी जाती है।

11. **छात्र संघ–** लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय छात्र संघ संविधान के अधीन प्रत्येक वर्ष छात्र संघ के चुनाव कराए जाते हैं, जिससे छात्रों में सम्प्रेषण कौशल तथा लोकतांत्रिक नेतृत्व क्षमता का व्यावहारिक अनुभवपरक सबक प्राप्त होते हैं। छात्र हितों का प्रतिनिधित्व करता छात्रसंघ उनसे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का निवारण करने हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सन्दर्भ में सभी विद्यार्थियों को सचेत किया जाता है कि छात्र संघ निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सामग्री यथा पोस्टर, दिवारों पर लिखना, स्टीकर आदि महाविद्यालय या शहर में नहीं लगाये जायेंगे। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं। यदि कोई विद्यार्थी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
12. **सांस्कृतिक परिषद–** छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण चारित्रिक विकास में सांस्कृतिक परिषद का विशेष योगदान होता है। महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसके पदाधिकारी महाविद्यालय के नियमित छात्र–छात्रायें होते हैं। परिषद के तत्वावधान में समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

13. **विभागीय परिषदें :** स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के सभी विषयों में परिषदों का गठन किया जाता है। इन परिषदों के तत्वावधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विचार संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित अन्य पाठ्य विषयों का उपयोगी ज्ञान छात्रों को कराना भी इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य है।
14. **महाविद्यालय पत्रिका–** 'अर्चना' नामक महाविद्यालय पत्रिका का वार्षिक प्रकाशन महाविद्यालय परिवार की नवोदित संवेदनशील प्रतिभाओं को लेखन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु अवसर प्रदान करता है।
15. **अभिभावक शिक्षक संघ–** छात्रों एवं संस्था के उन्नयन में अभिभावकों और शिक्षकों की समान जिम्मेदारी है। इसको ध्यान में रखते हुये, अभिभावक शिक्षक संघ पूरे वर्ष अपने पाल्यों की प्रगति के विषय में शिक्षकों के साथ अभिभावकों के संवाद के मंच के रुप में कार्य करता है। प्रत्येक नये सत्र के आरम्भ में अभिभावकों को आमन्त्रित कर उनको महाविद्यालय की नवीनतम प्रगतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाता है तथा उनके नवीन सुझावों को समुचित महत्व देते हुये यथासम्भव समायोजित किया जाता है।
16. **शास्ता मण्डल–** महाविद्यालय का शास्ता मण्डल परिसर में सामान्य अनुशासन सुनिश्चित करते हुये महाविद्यालय प्रशासन के सलाहकार का कार्य करता है। इसमें मुख्य शास्ता तथा अन्य सदस्य शास्ता होते हैं। अनुशासन मण्डल अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें करता है। संस्थागत छात्रों को फोटो पहचान पत्र जारी करता है। साथ ही छात्रों की समस्याओं का निवारण करते हुये जांच उपरान्त प्राचार्य को दण्डनीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भी सुझाव देता है।
17. **महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ–** इसका गठन संस्थागत छात्राओं को समुचित सुरक्षा प्रदान करने व सम्पूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। छात्राएँ अपनी किसी भी समस्या के विषय में यहाँ सम्पर्क कर सकती हैं।
18. **एण्टी–रैगिंग समिति–** यह समिति सुनिश्चित करती है कि वरिष्ठ छात्रों द्वारा नवागन्तुक छात्रों के साथ कोई अप्रिय घटना न हो तथा उनका आचरण नवीन छात्रों के साथ एक मार्गदर्शक के रुप में रहे। इस हेतु अभिभावकों एवं छात्रों की ओर से शपथ पत्र की व्यवस्था की गयी है।
19. **कम्प्यूटर प्रयोगशाला–** महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं हेतु इण्टरनेट युक्त कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध है।
20. **आन्तरिक गुणवत्ता विनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC)–** राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद बैंगलूरु के परिदर्शन के आलोक में, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों में अकादमिक

गुणवत्ता तथा तत्सम्बन्धी कौशल के संवर्धन, परिष्करण हेतु महाविद्यालय में उक्त प्रकोष्ठ गठित किया गया है। प्राचार्य की अध्यक्षता में अपनी नियमित त्रैमासिक बैठकों में अध्यापन, शोध तथा विस्तार के प्रबन्धन और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करता है।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) क्षेत्रीय कार्यालय एवं अध्ययन केन्द्र

स्व0 श्री जय दत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा में उ.मु. विश्वविद्यालय (यूओयू) का अध्ययन केन्द्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय वर्ष 2010 से संचालित किया जा रहा है। यूओयू की स्थापना अक्टूबर 2005 में उत्तराखण्ड शासन अधिनियम संख्या 23 द्वारा की गयी। इस महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र में वर्तमान में लगभग 1500 विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं। जिनके लिये परामर्श सत्र नियमित रुप से महाविद्यालय में आयोजित किये जाते हैं।

स्ववित्त पोषित बी.एड. पाठ्यक्रम

राजकीय महाविद्यालय रानीखेत को सत्र 2008–09 में स्ववित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हुई। एन0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम के शिक्षण का समय 10.00 से 4.00 बजे तक रखा गया है। समस्त छात्र एवं छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है।

सत्र 2015–16 से बी.एड. पाठ्यक्रम को दो वर्ष का कर दिया गया है। साथ ही प्रथम वर्ष हेतु छात्र/छात्राओं के लिये निश्चित सीटों की संख्या 50+5(EWS) निर्धारित की गयी है।

अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अन्तर्गत वाद–विवाद, गायन, लघुनाटिका, सेमिनार, निबन्ध, पोस्टर, क्विज प्रतियोगिता इत्यादि विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है।

सामान्य नियम

1. महाविद्यालय द्वारा विभिन्न क्रिया–कलापों के सम्बन्ध में निर्गत सूचनाओं में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय परिसर में शान्ति व्यवस्था बनाना और कक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न न करना विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
3. छात्र/छात्रायें अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रभारी अथवा छात्र/छात्रा अधिष्ठाता से सम्पर्क करेंगे। किसी भी परिस्थिति में छात्र/छात्रायें सीधे प्राचार्य से नहीं मिल पायेंगे।
4. महाविद्यालय संचालन हेतु समय–समय पर जारी सूचनाएँ सूचना पट पर लगा दी जाती हैं। छात्र–छात्रायें प्रतिदिन सूचना पट पर लगायी गयी जानकारी पर ध्यान दें।
5. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुये निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
   - **5.1.** महाविद्यालय परिसर, चहारदिवारी तथा कक्षा में किसी भी प्रकार का पोस्टर बैनर लगाना वर्जित है।
   - **5.2.** विद्यार्थियों द्वारा अपने पास अग्नेयास्त्रों को लेकर महाविद्यालय परिसर में घूमना अपराध होगा, जिसकी तुरन्त प्राथमिक सूचना दर्ज करायी जायेगी।
   - **5.3.** विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना, महाविद्यालय भवन के किसी हिस्से में पीक थूकना वर्जित है।
   - **5.4.** महाविद्यालय की सम्पत्ति विद्यार्थियों की अपनी सम्पत्ति है। फर्नीचर आदि की सुरक्षा करना प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व होगा।
   - **5.5.** महाविद्यालय के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में स्वच्छता एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरुक रहेंगे।
   - **5.6.** महाविद्यालय के मुख्य द्वार के आस–पास तथा महाविद्यालय परिसर में वाहन खड़ा करना दण्डनीय अपराध होगा। प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करेंगे।
   - **5.7.** महाविद्यालय परिसर में मोबाईल फोन वर्जित है।
   - **5.8.** उत्तराखण्ड शासन एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अतः छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रैस कोड का पूर्णतया पालन करना अनिवार्य है, वे महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रैस में ही परिसर में प्रवेश करें, अन्यथा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार (दिनांक 22 सितम्बर 2006) छात्रसंघ पदाधिकारियों, सदस्यों और निर्वाचन प्रशासन के लिये आचार संहिता/निर्देश

1. कोई भी प्रत्याशी प्रसन्न करने, अवप्रेरण करने और अन्य कोई ऐसी गति–विधि नही करेगा, जिससे विभेद को बढ़ावा मिलता हो, अथवा पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न होता हो, अथवा विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों, धर्मो अथवा भाषाई अथवा विभिन्न छात्र समूहों के मध्य विवाद होता है।
2. जब अन्य प्रत्याशियों की आलोचना होती है तो केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्ववृत्तों और कार्यो तक सीमित होनी चाहिये। सभी प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों के निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से दूर रहेंगे, जो लोक कार्य कलापों से सम्बन्धित नहीं हैं। अन्य प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के अप्रमाणित आरोप अथवा मिथ्या वर्णन से प्रत्याशी दूर रहेंगे।
3. मत प्राप्त करने के लिये जाति अथवा साम्प्रदायिक भावना के आधार पर आग्रह नहीं किया जायेगा। परिसर के अन्दर अथवा बाहर पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा।
4. सभी प्रत्याशियों का भ्रष्टाचार का उपयोग और अपराधों से सम्बन्धित सभी गतिविधियां मतदाताओं को प्रसन्न करने अथवा अवप्रेरण करने, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को आतंकित करना, मतदान प्रचार के लिए छदम वेश बनाना अथवा मतदान केन्द्र से 100 मीटर के अन्दर प्रचार करना और मतदान की अन्तिम अवधि 24 घण्टे के अन्दर प्रचार करना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र से और मतदान केन्द्र तक यातायात से ले जाना तथा लाना प्रतिषिद्ध होगा।
5. किसी भी प्रत्याशी को प्रचार के लिए मुद्रित इश्तहार, मुद्रित पैम्पलेट (पुस्तिका) अथवा कोई अन्य सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी, प्रचार के लिये प्रत्याशी केवल हाथ से बने हुये ऐसे इश्तहार का प्रयोग कर सकते हैं, जो विहित व्यय के अन्तर्गत ही सृजित किये गये हैं।
6. किसी भी प्रत्याशी को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अन्दर तथा बाहर जलूस निकालने अथवा जनसभा करने अथवा किसी भी तरह का प्रचार करने अथवा अधिप्रचार की अनुमति नहीं होगी।
7. बिना महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के किसी को और उनके समर्थकों को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के किसी भी सम्पत्ति को किसी भी उद्देश्य के लिये विरुपित अथवा किसी भी प्रकार से ध्वंस नहीं करने दिया जायेगा। सभी प्रत्याशी संयुक्त और पृथक रुप से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को विरुपित/विध्वंस करने के लिये दायित्वाधीन होंगे।
8. प्रत्याशी चुनाव के दौरान जलूसों और/अथवा जन सभायें कर सकते हैं, परन्तु यह कि इस प्रकार के जलूसों और जनसभाओं से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के किसी भी प्रकार से

कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्य–कलापों में व्यवधान नहीं होना चाहिए। यह भी कि यह जलूस/जनसभा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं हो सकती।

9. प्रचार के उद्देश्य के लिये ध्वनिक्षेपक (लाउडस्पीकर) वाहन और जानवरों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।

10. निर्वाचन के दिन छात्रसंघ पदाधिकारी और प्रत्याशी करेंगे–

क. निर्वाचन के कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्ण और व्यवस्थित निर्वाचन कराने और निर्वाचन पूर्ण करने तथा मतदाताओं को बिना किसी खीज उत्पन्न किये अथवा व्यवधान पहुँचायें उनके स्वतन्त्र मतदान के उपयोग में सहयोग।

ख. मतदान के दिन किसी भी तरल अथवा ठोस पदार्थ को पीने अथवा खाने के लिए न देंगे और न वितरित करेंगें।

ग. मतदान के दिन किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे।

11. मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी छात्र/व्यक्ति, निर्वाचन समिति अथवा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से प्राप्त वैध परिचय पत्र के बिना निर्वाचन स्थल में प्रवेश नहीं करेगा।

12. चुनाव आयोग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारी निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकते हैं।यदि प्रत्याशियों को निर्वाचन सम्बन्धी विशेष शिकायत अथवा समस्या हो, वे इसको पर्यवेक्षक की जानकारी में ला सकते हैं।

13. निर्वाचन सम्पन्न होने के 48 घण्टे के अन्दर सभी प्रत्याक्षी संयुक्त रुप से निर्वाचन स्थल की सफाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

14. उपरोक्त आचार संहिता के विपरीत कार्य करने में प्रत्याशी का प्रत्याशित अथवा उसका निर्वाचित पद, जैसी भी स्थिति हो, निराकृत हो सकता है। निर्वाचन आयोग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारी, उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं।

15. उपर्युक्त रुप से वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त माननीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (धारा 153 क और अध्याय 9 क निर्वाचन सम्बन्धी अपराध) भी छात्रसंघ निर्वाचन में लागू होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया

1. स्नातक प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश ऑनलाईन पद्धति से होंगे। अन्य कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त करेंगे, प्रवेश आवेदन–पत्र पूर्ण रुप से भरकर अन्तिम तिथि से पूर्व महाविद्यालय में जमा करेंगे।
2. प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों, अन्तिम विद्यालय द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) व चरित्र निर्माण पत्र सहित प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश संस्तुत तथा हस्ताक्षर प्रमाणित करवायेंगे। मूल टी.सी. तथा चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रवेश होगा। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही महाविद्यालय का परिचय पत्र भी पूर्ण रुप से भरा जायेगा जो शुल्क जमा करने के साथ ही छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा। प्रवेशार्थी के प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष अनिवार्य रुप से उपस्थित होना होगा। अनुपस्थिति की दशा में प्रवेश सम्भव नहीं होगा। मूल टी.सी. के अभाव में प्रवेश स्वीकृत नहीं होगा।
3. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश स्वीकृत कर दिया जाता है उन्हें महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर स्वीकृत प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा, तथा वरीयता क्रम में अगले प्रवेशार्थी को प्रवेश दिया जायेगा।
4. एक संकाय में प्रवेश न होने की दशा में वही प्रवेश आवेदन पत्र दूसरे संकाय के लिये प्रयोग में नहीं आयेगा। यदि किसी प्रवेशार्थी को संकाय विशेष में प्रवेश की उम्मीद नहीं और वह दूसरे संकाय में प्रवेश का इच्छुक हो तो निर्धारित तिथि से पूर्व ही उस संकाय में भी आवेदन पत्र जमा कर सकता है।
5. विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम 1–12 पर विचार करना तभी सम्भव हो सकेगा जबकि नियमित विद्यार्थी बीमारी का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र और पुष्ट कारण के सापेक्ष साक्ष्य स्वरुप एफिडेविट प्रस्तुत करेगा।
6. प्रवेश की घोषित अन्तिम तिथि के तुरन्त बाद महाविद्यालय सूचना पट पर समय सारिणी चस्पा कर दी जायेगी तद्नुसार पठन–पाठन सम्पन्न होगा।
7. प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय पत्र अपने पास सुरक्षित रखना नितान्त आवश्यक है। महाविद्यालय परिसर में बिना परिचय पत्र के प्रवेश पूर्णतया वर्जित है।
8. परिचय पत्र का दुरुपयोग रोकने के लिये इस सत्र में यह व्यवस्था की जा रही है कि परिचय पत्र खोने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी इस आशय का एक आवेदन पत्र शास्ता मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। शास्ता मण्डल द्वारा उनकी विधिवत् जांच होगी और **रुपया 50/– (रुपया पचास मात्र) अतिरिक्त शुल्क देने के उपरान्त ही परिचय पत्र की दूसरी प्रति** निर्गत की जायेगी। किसी विद्यार्थी के पास जाली परिचय पत्र पकड़े जाने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उस विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
9. पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश, प्रवेश प्रक्रिया तिथि बीत जाने के बाद किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। अतः छात्र/छात्रायें प्रवेश निश्चित तिथि तक अवश्य ले लें।

10. संकाय एवं विषय परिवर्तन हेतु महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।
11. किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को पुनः प्रवेश देय नहीं होगा।
12. छात्र/छात्रायें कार्य स्वयं करें। किसी भी छात्र नेता के माध्यम से कार्य न करवायें।
13. विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म विद्यार्थी स्वयं भरकर जमा करना सुनिश्चित करें, किसी अन्य को देने से आपका शैक्षणिक वर्ष बरबाद हो सकता है।
14. प्रवेश हेतु स्वयं उपस्थित हों व चालान प्राप्त कर स्वयं अपना शुल्क जमा करें। साथ ही प्रवेश शुल्क 3 दिन के भीतर जमा करना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् शुल्क हेतु निर्गत चालान स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
15. सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राऐं **निर्धारित तिथि तक अपना अस्थाई प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें।** सुधार परीक्षा के बाद प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
16. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय से अंक तालिका प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर लेना अनिवार्य है।
17. प्रवेश हेतु प्रवेश समिति के समक्ष अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

महाविद्यालय में वर्ष 2022–23 के प्रवेश के लिये

आवंटित रिक्त सीटों का विवरण

1. विज्ञान संकाय

क्र0 सं0	स्नातकोत्तर विषय	कुल सीटें	क्र0 सं0	स्नातक विषय	कुल सीटें
1.	जन्तु विज्ञान– सेमे0–I	20	1.	बी0 एस0 सी0 (ZBC) सेमे0–I	160
2.	वनस्पति विज्ञान– सेमे0–I	20			
3.	रसायन विज्ञान– सेमे0–I	15	2.	बी0 एस0 सी0 (PCM) सेमे0–I	160
4.	भौतिक विज्ञान– सेमे0–I	10			
5.	गणित– सेमे0–I	20			

2. वाणिज्य संकाय

क्र0 सं0	स्नातकोत्तर विषय	कुल सीटें	स्नातक विषय	कुल सीटें
1.	एम0 कॉम0– सेमे0–I	60	बी0 कॉम0–सेमे0–I	160

3. कला संकाय

क्र0 सं0	स्नातकोत्तर विषय	कुल सीटें	स्नातक विषय	सीट प्रति सेक्शन
1.	भूगोल– सेमे0–I	60	बी0 ए0 सेमे0–I (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संगीत, गृह विज्ञान)	भूगोल तथा संगीत में 60 सीट प्रति सेक्शन तथा अन्य विषयों में 80 सीट प्रति सेक्शन
2.	अर्थशास्त्र– सेमे0–I	60		
3.	अंग्रेजी– सेमे0–I	60		
4.	हिन्दी– सेमे0–I	60		
5.	राजनीति विज्ञान– सेमे0–I	60		
6.	समाजशास्त्र– सेमे0–I	60		
7.	इतिहास– सेमे0–I	60		
8.	संगीत– सेमे0– I	20		

4. बी0 एड0 (स्ववित्त पोषित)

क्र0 सं0	स्नातक विषय	कुल सीटें
1.	बी0 एड0– सेमे0–I	50

5. योगा (स्ववित्त पोषित)

क्र0 सं0	डिप्लोमा कोर्स	कुल सीटें
1.	एक वर्षीय पी0 जी0 डिप्लोमा यौगिक साइंस	60

नोटः– सभी संकायों में उपरोक्त सीटों के अतिरिक्त 10% सीटें EWS श्रेणी के लिए आरक्षित।

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान
स्नातक पाठ्यक्रमों
(बी० ए०, बी० एस–सी०, बी० कॉम०)
के लिए प्रवेश नियम व अध्यादेश 2022
प्रवेश नियम
(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

अध्याय–1 साधारण नियम–

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय /संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1.7 **(क)** जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय–परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/ संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अर्न्तगत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/ महाविद्यालय/ संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3– अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट – स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

(1) महिलाऐं	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यागं	04 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days
(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
(ii)Waiving of domicile requirements.

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)– 20 अंक

(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन– 20 अंक

(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति /पत्नी/सगाभाई/बहन– 20 अंक

(ङ) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 50 अंक

(च) अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर 40 अंक

(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर 30 अंक

(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 25 अंक

झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक

(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक

(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/ मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर 20 अंक

(ठ) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक

नोट – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में

ही अनुमन्य होगा। (ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.15 (क) स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु – प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त –

1. शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में 02 वर्षों के भीतर स्नातक कक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

2. अभ्यर्थी की शिक्षा में अवरोध न होने की स्थिति में त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्ताकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे)।

3. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

   व्याख्या (Explanation) :– यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

4. भविष्य में यू0 जी0 सी0 अथवा एन0 एच0 ई0 क्यू0 एफ0 के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

1.16 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.17 एक सत्र् में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एड–ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007 (cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1.18 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.19 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1.20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
परिसर/महाविद्यालय/संस्थान
स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर
(बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम0/एम0ए0/एम0कॉम/एम0एस0सी0)
की
कक्षाओं में प्रवेश हेतु
अर्हता निर्धारण के नियम
(शिक्षा सत्र 2022–23)

अध्याय–2– योग्यता सूची निर्धारण के नियम–

2.1. स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (10+2) कक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे। उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र–छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, दृश्य कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत होगी–

(1) कला संकाय, दृश्य कला हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (यथा– स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश चाहता हैं तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर, महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता हैं।

2.2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2.3. शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/ पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यो/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुये प्रवेश के सम्बंध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होगें।

2.4. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2.5. स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जायेगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2.6. The candidates for the Under-Graduate programs shall have to two compulsory paper/ subject and choose one optional-subject combinations as per the groupscheme provided below:

(a) For Bachelor of Science (B. Sc.) :

(i) Subjects available in the group A and B are compulsory for the candidate.

(ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from group C mentioned below from its own faculty or from the *other faculty.

*Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.

Mathematics Groups:		
Group A	**Group B**	**Group C***
Mathematics	Physics	Chemistry Computer Science Information Technology Geology Statistics

* Computer Science, Information Technology, Geology are not available in the Govt. P. G. College, Ranikhet at present.

Biology Groups:		
Group A	**Group B**	**Group C****
Botany	Zoology	Chemistry Information Technology Geology Forestry

** Information Technology, Geology and Forestry are not available in the Govt. P. G. College, Ranikhet at present.

(b) For Bachelor of Arts (B. A.):

(i) A candidate has to opt for two major subjects from the group mentioned below by taking one subject from any group.

(ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from the groups mentioned below (own faculty) or from the *other faculty.

*Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.

A	B***	C	D	E	F
English Literature Kumauni Bhasa Sanskrit Literature	Drawing and Painting Economics Home Science Physical Education Psychology	Geography History Music Yoga	Education Sociology	Hindi Literature	Political Science

*** Physical Education, Psychology and Yoga are not available in the Govt. P. G. College, Ranikhet at present.

(c) For Bachelor of Commerce (B. Com.) :

(i) A candidate has to opt two major papers from its own faculty.

(ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from its own faculty or from the other faculty.*

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting	Business Regulatory Framework	Business Organisation & Management
		Business Communication

*Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

शुल्क विवरण

1. शिक्षण शुल्क	– ––	परीक्षा शुल्क –	340.00(प्रति0सेमे0)
2. शिक्षण शुल्क(स्नातकोत्तर)–	180.00	पर्यावरण –	105.00
3. प्रवेश शुल्क –	3.00	वाचनालय शुल्क –	40.00
4. महंगाई शुल्क –	240.00	क्रीड़ा शुल्क –	300.00
5. विकास शुल्क –	20.00	महा0 परिषद शुल्क –	50.00
6. पुस्तकालय शुल्क –	3.00	पत्रिका शुल्क –	50.00
7. प्रयोगशाला शुल्क –	240.00	महा0 दिवस शुल्क –	20.00
		परिचय पत्र शुल्क –	25.00
		छात्र कल्याण शुल्क –	10.00
		छात्र संघ शुल्क –	45.00
		विद्युत शुल्क –	60.00
		विविध –	100.00
		प्रांगण विकास –	20.00
		सांस्कृतिक कार्यक्रम –	45.00
		जनरेटर –	50.00
		प्रयोगात्मक परीक्षा(स्नातक) –	200.00
		प्रयोगात्मक परीक्षा(स्नातकोत्तर)–	200.00

रियायत–

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को शिक्षण शुल्क की मुक्ति।

शुल्क राशियों से सम्बन्धित नियम

1. आवश्यक शुल्कादि जमा करने पर प्रवेशार्थी का नाम महाविद्यालय रजिस्टर में दर्ज हो जायेगा और उसे शुल्क रसीद व कक्षा में प्रवेश पत्र मिल जाएगा।
2. शुल्क की रसीद व कक्षा प्रवेश पत्र के आधार पर प्रवेशार्थी अपने चयनित विषय के रजिस्टर में अपना नाम व कक्षा प्रवेश पत्र लिखवाने के साथ–साथ पुस्तकालय कार्ड तथा परिचय पत्र भी बनवा सकेगा।
3. सभी छात्र–छात्राएँ नया परिचय पत्र प्राप्त करेंगे। जिस छात्र–छात्राओं के परिचय पत्र खो गये हो अथवा नष्ट हो गये हो वह निर्धारित शुल्क जमा कर नये परिचय पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

SSJDVSSS Government PG College Ranikhet, Almora

Academic Calendar 2022-23

Tentative after Soban Singh Jeena University, Almora

Sl No	Academic Schedule/Particulars	Dates/Duration
1.1	Online registration for UG 1st Semester	21 June 2022
1.2	Online registration for PG 1st Semester	7th July 2022
1.3	Commencement of Admission UG 1st Semester	22nd August 2022 (depends upon SSJU)
1.4	Last date of admission in UG 1st Semester	30th September 2022
1.5	Last date of admission in PG 1st Semester	Within 15 days of result declaration
1.6	Last date of admission in UG & PG other semesters except 1st semester	Within 1 week of result declaration
1.7	Last date of admission of BEd	To be decided by the University
2	Date of commencement of classes for UG 1st Semester including professional course (BEd)	1st October 2022
3	Last date of validation/verification of UG/PG 1st Semester admissions by the college	30th November 2022
4	Winter Vacation	9th January 2023 to 11th February 2023
5	Semester Break after Odd semester	13th February 2023
6	Summer Vacation	14th June 2023 to 28th June 2023
7	Semester Break after Even Semester	29th June 2023
8.1	Internal Evaluation Odd Semester	1st March 2023 to 7th March 2023
8.2	Internal Evaluation Even Semester	1st August 2023 to 7th August 2023
9.1	Odd Semester Examination	08th March 2023 to 18th April 2023
9.2	Even Semester Examination	08th August 2023 to 18th September 2023
10	Declaration of Semester Results	Within one month of completion of examinations
11	Activities by Departmental Councils	Last week of February 2023
12	Educational Tours UG/PG (If prescribed in the syllabus)	To be decided by the respective departments with prior approval of Principal
13	Students Union Election	To be conducted as per the directives from Government
14	Annual Sports & Cultural events	To be decided by the concerned committees and Sport Department with prior approval of Principal
15	Entrance for next batch PhD and BEd	To be decided by the university
16	Commencement of Academic Session 2023-24	1st August 2023
17	Commencement of all Odd Semester Classes 2023-24	19th September 2023

Note:

1. This Academic Calendar is prepared following the Academic Calendar of Soban Singh Jeena (SSJ) University Almora to which college is affiliated with.
2. The Academic Calendar is subject to further changes as per the directions of SSJ University and the decisions of various college level committees as per the needs.
3. Keep visiting college website (https://www.jdvffgpgcranikhet.org/) & University website (www.ssju.ac.in) for further updates.

IQAC Co-ordinator
Govt. P.G. College, Ranikhet

Principal
Govt. P. G. College
Ranikhet (Almora)

स्व0 श्री जय दत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा
महाविद्यालय प्राध्यापक
शिक्षा सत्र 2022–23

प्राचार्य– डॉ0 पुष्पेश पाण्डेय	
कला संकाय	
हिन्दी विभाग 1. डॉ0 रूपा आर्या, असि0 प्रो0 2. डॉ0 सुमिता गरकोटी, असि0 प्रो0 3. डॉ0 सुमन फुलारा, असि0 प्रो0 (अतिथि प्रवक्ता) 4. डॉ0 छत्रपति शिवाजी, असि0 प्रो0 (अतिथि प्रवक्ता)	**भूगोल विभाग** 1. डॉ0 बी0 बी0 भट्ट, असि0 प्रो0 2. डॉ0 जे0 एस0 रावत, असि0 प्रो0 3. डॉ0 कमलेश्वर त्रिपाठी, असि0 प्रो0 (अतिथि प्रवक्ता)
अंग्रेजी विभाग 1. डॉ0 निधि पाण्डेय, असि0 प्रो0 2. डॉ0 बरखा रौतेला, असि0 प्रो0 3. हिमानी नेगी, असि0 प्रो0	**इतिहास विभाग** 1. डॉ0 दीपा पाण्डे, असि0 प्रो0 2. डॉ0 महिराज मेहरा, असि0 प्रो0 3. डॉ0 पंकज प्रियदर्शी, असि0 प्रो0
अर्थशास्त्र विभाग 1. डॉ0 नमिता मिश्रा, असि0 प्रो0 2. डॉ0 पारूल भारद्वाज, असि0 प्रो0 3. डॉ0 संगीता कुमारी, असि0 प्रो0	**राजनीति विज्ञान विभाग** 1. डॉ0 भुवन तिवारी, असि0 प्रो0 2. कु0 पूजा, असि0 प्रो0 3. तारा चन्द्र, असि0 प्रो0
समाजशास्त्र विभाग 1. डॉ0 अभिमन्यु कुमार, असि0 प्रो0 2. डॉ0 नीमा बोरा, असि0 प्रो0 3. कमला देवी, असि0 प्रो0	**संगीत विभाग** 1. मुकुल कुमार, असि0 प्रो0 2. दीपा नन्दा, असि0 प्रो0 3. पूनम आर्या, असि0 प्रो0
संस्कृत विभाग 1. डॉ0 अंकित मनोड़ी, असि0 प्रो0 (अतिथि प्रवक्ता)	**गृह विज्ञान विभाग** 1. डॉ0 पारूल बोरा, असि0 प्रो0 2. नीतिका, असि0 प्रो0

विज्ञान संकाय

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ0 प्राची जोशी, असि0 प्रो0
2. डॉ0 कोमल गुप्ता, असि0 प्रो0
3. डॉ0 तनुजा तिवारी, असि0 प्रो0
4. आरती चौहान, असि0 प्रो0

जन्तु विज्ञान विभाग

1. डॉ0 दीपा पाण्डे, असि0 प्रो0
2. डॉ0 निहारिका सिंह बिष्ट, असि0 प्रो0
3. डॉ0 पूर्णिमा विश्वकर्मा, असि0 प्रो0
4. डॉ0 बी0 पी0 एस0 कनवाल, असि0 प्रो0, (अतिथि प्रवक्ता)

भौतिक विज्ञान विभाग

1. डॉ0 विजय कुमार बिष्ट, असि0 प्रो0
2. डॉ0 दीपक कुमार उप्रेती, असि0 प्रो0
3. डॉ0 शीतल चौहान, असि0 प्रो0
4. डॉ0 प्रतीक शर्मा, असि0 प्रो0 (अतिथि प्रवक्ता)

रसायन विज्ञान विभाग

1. डॉ0 प्रसून जोशी, असि0 प्रो0
2. डॉ0 रश्मि रौतेला, असि0 प्रो0
3. डॉ0 भारती बहुगुणा, असि0 प्रो0
4. डॉ0 हेमलता भट्ट, असि0 प्रो0

गणित विभाग

1. डॉ0 गणेश सिंह नेगी, असि0 प्रो0
2. डॉ0 शंकर कुमार, असि0 प्रो0
3. डॉ0 सी0 एस0 पंत, असि0 प्रो0

वाणिज्य संकाय

1. डॉ0 दिनेश चन्द्रा, असि0 प्रो0
2. डॉ0 बसंत कुमार नेगी, असि0 प्रो0
3. रोहित जोशी, असि0 प्रो0
4. राहुल चन्द्रा, असि0 प्रो0

बी0 एड0 संकाय (स्ववित्त पोषित)

1. डॉ0 सुशील, असि0 प्रो0
2. डॉ0 प्रियंका जैन, असि0 प्रो0
3. डॉ0 प्रीति सिंह, असि0 प्रो0
4. डॉ0 रेखा उनियाल, असि0 प्रो0
5, डॉ0 मोहन चन्द्र आर्या, असि0 प्रो0, (अतिथि प्रवक्ता)

शारीरिक शिक्षा/क्रीड़ा

1. डॉ0 रूचि साह, असि0 प्रो0

स्व0 श्री जय दत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

कर्मचारी का नाम	पदनाम
श्रीमती मंजू मेहरा (सम्बद्ध)	मु0 प्र0 अधिकारी
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	कनिष्ठ सहायक
श्री शंकर सिंह कुवार्बी	लिपिक (उपनल)
श्री हीरा सिंह	अनुसेवक पुस्तकालय
श्री गोविन्द सिंह	अनुसेवक कार्यालय
श्री चन्दन सिंह	अनुसेवक भूगोल
श्री विक्रम सिंह	अनुसेवक कार्यालय
श्रीमती पुष्पा शर्मा	अनुसेवक जन्तु विज्ञान
श्री संतोष कुमार	अनुसेवक भौतिक विज्ञान
श्री मोहित चौधरी	अनुसेवक (उपनल)
श्री दिनेश पवार	पर्यावरण मित्र (उपनल)
श्री ललित सिंह बोरा	अनुसेवक (उपनल)
श्री नवीन चन्द्र जोशी	अनुसेवक (उपनल)
श्री कैलाश चन्द्र	अनुसेवक (उपनल)
श्री अर्जुन सिंह	अनुसेवक (उपनल)
श्री कृपाल सिंह नेगी	अनुसेवक (उपनल)
श्री योगेश्वर सिंह नेगी	विद्युत संचालक (उपनल)
श्री विरेन्द्र सिंह	अनुसेवक (उपनल)
श्री मनोज सिंह	अनुसेवक (उपनल)
श्री भानु प्रताप गोस्वामी	अनुसेवक (उपनल)
श्री कपिल सिंह	अनुसेवक (उपनल)
श्री ललित चन्द्रा	माली (उपनल)
प्रयोगशाला कर्मचारी	
श्री दया किशन जोशी (सम्बद्ध)	प्रयो0 सहा0 भौतिक विज्ञान
श्री पूरन चन्द्र पाण्डे	प्रयो0 सहा0 वनस्पति विज्ञान
श्रीमती चंद्रावती	प्रयो0 सहा0 गृह विज्ञान
श्री मोहन चंद्र पलड़िया	प्रयो0 सहा0 भूगोल
श्री विनोद चंद्र तिवारी	प्रयो0 सहा0 रसायन विज्ञान (उपनल)
कु0 रेखा	तबला संगतकर्ता (उपनल)
प्रयोगशाला कर्मचारी बी0 एड0 (स्ववित्त पोषित)	
कुंदन नगरकोटी	पुस्तकालय अध्यक्ष (संविदा)
नरेंद्र लाल	कार्यालय सहायक
लाल सिंह बिष्ट	सहायक तकनीशियन

जयदत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सैनानी
रानीखेत
महोत्सव
परिवार